ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

13

आर0ई0आर0 केस सं0– 47 / 2021–22

जलधर कुमार वगै0 बनाम् विक्रमादित्य चतुर्वेदी वगै0

16.09.2022

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद आवेदक जलधर कुमार, पे0–स्व0 अमेसर कुवंर, अरूण देव कुवंर, पे0–स्व0 सुखदेव कुवंर, दोनो सा0–सरवा, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–सरवा नं0–774, जमाबंदी नं0–18, दाग नं0–105 के अन्दर 47 डि0, दाग नं0–156 के अंदर 32 डि0, दाग नं0–157 के अंदर 50 डि0, कुल रकवा–01 एकड़ 29 डि0 भूमि से विपक्षीगण विक्रमादित्य चतुर्वेदी, पे0–देवेन्द्र प्र0 चौबे, जितेन्द्र प्र0 चौबे, पे0–गणेश प्र0 चौबे, सा0–पथरगामा, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (पूरक), 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत उच्छेद करने हेतु दायर वाद पर प्रकिया प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार उभय पक्षों द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–1069 / रा0 दिनांक–20.07.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, महागामा ने प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी विक्रमादित्य चतुर्वेदी वगै0 के पूर्वज को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा 31.05.1934 को प्रश्नगत भूमि की बन्दोबस्ती की गई है एवं विपक्षीगण के नाम से पंजी–2 कायम है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में विषयांकित मामले में प्रथम पक्ष का दावा निराधार प्रतीत होता है। वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

16.09.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

16.09.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
Bande Kumar Sing
Adv
20/09/22

Seen
Satyendra Pd Yadav
Adv
01/11/2022

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.18 15:40:08 +05:30
Location: 192.168.8.116